it by the middle of 1973. Regular production is expected to start by third quarter of 1973.

(b) It is reported by the sponsors of the scheme that :—

(i) consultancy arrangements and foreign collaboration were finalised in March, 1967;

(ii) order for the necessary machinery are in the process of being placed on indigenous and foreign suppliers;

(iii) necessary finance has been arranged;

(iv) required capital is fully subscribed;

(v) land, water and power have been arranged;

(vi) subsoil and foundation investigations, etc. are over;

(vii) construction of plant buildings has started.

Assessment of Foodgrains requirements for Bangla Desh Refugees

3579. SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government have made any assessment of the requirements of foodgrains for feeding the refugees from Bangla Desh;

(b) the number of countries who have assured the Government for supply of foodgrains for the said refugees; and

(c) whether help from this source will fully meet the requirements and if not, how Government propose to meet the situation?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) Yes, Sir.

(b) Offers of foodgrains for the East Bengal refugees have been received from the Government of USA, USSR, UK, Japan, Switzerland and six member States of European Economic Community.

(c) The assistance offered so far from these sources is hardly adequate to cover the requirements of foodgrains of the refugee population. These requirements, at present, are being met out of indigenous stocks.

गोवध पर आंशिक प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधान बनाना

3580. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या है जिनमें गौ तथा उनके बछड़ों के वध पर आंशिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए भी अभी तक विधान नहीं बनाया गया है और इसके क्या कारण हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिन्होंने अब तक गौ तथा इसकी संतति के वध पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून नहीं बनाए हैं :—

क्रम संख्या	राज्य
1.	केरल (नीचे टिप्पणी 1 भी देखिये)

2.	हिमाचल प्रदेश (नीचे टिप्पणी 2 भी देखिये)
3.	नागालैंड

क्रम संख्या	संघ राज्य क्षेत्र
1.	लकादीव द्वीप समूह
2.	गोवा, दमन तथा दीव
3.	त्रिपुरा (नीचे टिप्पणी 3 तथा 4 भी देखिये)
4.	मणिपुर
5.	पांडिचेरी

गौवध पर प्रतिबन्ध लगाना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केरल, नागालैंड, लकादीव तथा गोवा, दमन तथा दीव जैसे राज्यों में आंशिक प्रतिबन्ध न लगाने का कारण यह है कि इन राज्यों में लोगों की गोवध के प्रति कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में समझते है।

टिप्पणी

(1) यद्यपि केरल में कोई कानून नहीं बनाया गया है, तथापि केरल पंचायत (बूचड़खाने तथा मांस स्टाल) नियम, 1964 के अनुसार नियम 8 के अन्तर्गत गौ के वध के लिये तब तक कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता जब तक कि जाँच प्राधिकारी कारण बताते हुए लिखित में यह विचार प्रकट न करे कि (क) पशु की आयु 10 वर्ष से अधिक है और कार्य करने तथा प्रजनन के अयोग्य है अथवा (ख) घाव या विकृति के कारण पशु कार्य अथवा प्रजनन के लिए स्थायी रूप से विकलांग है।

(2) हिमाचल प्रदेश में, पंजाब विधि अधिनियम, 1872 की धारा 43 लागू की गई है, जिसके अनुसार गोवंश का वध नहीं किया जा सकता बशर्ते कि राज्य सरकार इसके लिये, सामान्य रूप से या किसी विशेष उपाहरण के तौर पर समय-समय पर कानून बनाए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि लोगों के धार्मिक विश्वास ने गो की रक्षा की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि कानूनी रक्षा प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश में लागू किये गए पंजाब विधि अधिनियम 1872 की धारा 43 के उपबन्ध पर्याप्त हैं।

(3) त्रिपुरा में, त्रिपुरा के महाराजा द्वारा त्रिपुरा युग के वर्ष 1296 में जारी किए गए कार्यकारी आदेश के अनुसार गौवध पर प्रतिबन्ध है।

(4) मणिपुर में गौवध पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई कानून नहीं है। परन्तु 1936 में उस समय के मणिपुर दरबार द्वारा जारी किये गये, संकल्प के अनुसरण में मणिपुर घाटी में पशुबध नहीं होता।

Expenditure on Evacuees from Bangla Desh

3582. SHRI S. C. SAMANTA :
SHRI SAMAR GUHA :
SHRI C. JANARDHANAN :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the total financial burden fallen upon the Government of India due to the influx of evacuees from Bangla Desh in the financial year 1971-72; and